कार्यालय,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,कानपुर देहात

पत्रॉक/मान्यता/8427-32 /2014–15 दिनॉक 02-12-2014

प्रबन्धक

माउन्टेन व्यू सिटी पब्लिक स्कूल,
शहजादपुर,(बनारअलीपुर),विकास खण्ड,अकबरपुर,
कानपुर देहात

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11के उप नियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनॉक 03-07-14 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मै माउन्टेन व्यू पब्लिक सिटी जू0हा0स्कूल, शहजादपुर (बनारअलीपुर)विकास खण्ड अकबरपुर,कानपुर देहात को कक्षा 06 से कक्षा 08 तक (हिन्दी माध्यम)हेतु दिनॉक 02.12.2014से दिनॉक 01.12.2017 तक तीन वर्षो की अवधि के लिए औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ।

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता /सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्वों को विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम ,2009(संलग्नक –एक)और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक–दो)के उपबंधों का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा एक में कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालको प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा,परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।

4–प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12(2)के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी।ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।

5–समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या अभिभावक को किसी जॉच प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।

(क)बालक का आयु प्रमाण पत्र न होने पर,

(ख)धर्म,जाति,अथवा नस्ल,जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर

7–विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा।

(एक)किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(दो)किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।

(तीन)किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है

(चार)प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा

(पॉच)अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन

(छः)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करता है और

(सात)अध्यापक निजी अध्यापन किया –कलापों के निमित स्वयं को नहीं लगायेगा।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9–विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विर्निदिष्ट किया गया है।

10–विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जाएगी।

11–विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(अधिनियम संख्या–21सन् 1860)के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

12–विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम संख्या–21सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तद्समय प्रवरित किसी विधि कि अधीन गठित किसी सार्वजनीक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

13–विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह या व्यष्टि संगम या किन्ही व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नही किया जाता है।

14– लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टट एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना और नियमानुसर समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

15– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता संबंधित कोड संख्या–2014–15(3)दिसम्बर 2014 (हिन्दी माध्यम)/के0डी0 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक का उद्धत करने का कष्ट करें।

16– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के, ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबधी शर्तो की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

17–समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

18– विद्यालय प्रंबन्ध न्याय और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी कियें राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

19– संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्ते।

(महेन्द्र कुमार कनौजिया)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
काननुर देहात
2/12/14

पृ0सं0/मान्यता/ /2014–2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत।

1–शिक्षा निदेशक (बे0) उत्तर प्रदेश , लखनऊ।
2–सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) कानपुर मण्डल, कानपुर।
4–जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
5–जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात।
6–जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
7–खण्ड शिक्षा अधिकारी, अकबरपुर, कानपुर देहात।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
काननुर देहात

कार्यालय,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,कानपुर देहात

पत्रॉक/मान्यता/8368-72/2014-15 दिनॉक 2/12/14

प्रबन्धक
माउन्टेन व्यू सिटी पाब्लिक स्कूल,
शहजादपुर,(बनारअलीपुर),विकास खण्ड,अकबरपुर,
कानपुर देहात

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवदेन पत्र दिनॉक 05.08.2014 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में माउन्टेन व्यू सिटी पब्लिक स्कूल, शहजादपुर, (बनारअलीपुर), विकास खण्ड, अकबरपुर, कानपुर देहात को कक्षा 01 से कक्षा 05 तक (हिन्दी माध्यम) हेतु दिनॉक 02.12.2014 से दिनॉक 01.12.2017 तक तीन वर्षो की अवधि के लिए औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ।

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 05 के पश्चात मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्वों को विवक्षित नहीं है।
2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक–एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक–दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3–विद्यालय कक्षा एक में कक्षा की सदस्य संख्या 25 प्रतिशत तक पास पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4–प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छान्दित हो तो विद्यालय को तद्नुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैक खाता उपलब्ध करायेगा।
5–समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नही करेगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या अभिभावक को किसी जॉच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6–विद्यालय प्रवेश से वंचित नही करेगा।
(क)बालक का आयु प्रमाण पत्र न होने पर,
(ख)धर्म ,जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर,
7–विद्यालय निम्नलिखत बातों को सुनिश्चित करेगा।
(एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(दो) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नही बनाया जायेगा।
(तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।
(चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।
(पाँच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन
(छः) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तवयों का निर्वाहन करता है और
(सात) अध्यापक निजी अध्यापन क्रिया–कलापों कि निमित स्वयं को नहीं लगायेगा।
8–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
10–विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
11–विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नही चलाई जाएगी।

12–विद्यालय,किसी व्यक्ति समूह या व्यष्टि संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।

13–लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टट एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए।प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

14–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता संबंधित कोड संख्या–2014–15(3)दिसम्बर 2014(हिन्दी माध्यम)/के0डी0है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यहार के लिए इस संख्यांक का उद्धत करने का कष्ट करें।

15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

16–समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17–विद्यालय प्रबन्ध न्याय और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18–संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्ते

(महेन्द्र कुमार कनौजिया)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात

पृ0सं0/मान्यता/ /2014–2015 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1–शिक्षा निदेशक(बे0)उत्तर प्रदेष लखनऊ।
2–सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0)कानपुर मण्डल कानपुर
4–जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
5–जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
6–जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
7–खण्ड शिक्षा अधिकारी,अकबरपुर,कानपुर देहात।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात

कक्षा 1 से कक्षा 8 तक स्थायी मान्यता हेतु इस आदेश के पृष्ठ संख्या-13 में अंकित बिन्दु संख्या-13 का संज्ञान है।

(53)

संख्या-418/79-6-2013-18 एस (7)/89

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 08 मई, 2013

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) हिन्दी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-442/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 05-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दि० 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में उक्त विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमावली एवं शासकीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ०प्र० निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।

(3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

(4) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ छात्र/अध्यापक की पहुँच से दूर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।

(5) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवन की मजबूती के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा समय–समय पर समीक्षा के अन्तर्गत भी भवन की सुरक्षा का प्रमाण–पत्र प्रबन्धतंत्र को प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख–रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। प्राथमिक विद्यालय में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवन की गुणवत्ता के संबंध में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर.ई.एस. के जिस अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनका विवरण निम्नवत् है :–

1. ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित भवन–अवर अभियन्ता
2. एक से अधिक मंजिल के विद्यालय –सहायक अभियन्ता

निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप व ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्षा–कक्ष हवादार एवं प्रकाशयुक्त हो।

एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन की सीढ़ियाँ जो निकास मार्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही हों, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित मानक के अनुसार बनायी गयी हो, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

(6) विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति/अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाय ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।

(7) नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त अशासकीय विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में मानक एवं शर्तें

यदि विद्यालय निःशुल्क और अनियवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के क्रम में उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 लागू होने के पूर्व से संचालित है तो उसके द्वारा

निर्धारित प्रारूप पर सूचना सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तीन माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी तथा निम्नलिखित मानकों को पूरा करने की अनिवार्यता होगी :-

(क) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

(ख) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।

(ग) भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म सम्भाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(घ) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।

(ङ) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(च) विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

(छ) खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(ज) बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(झ) ऐसे विद्यालय जो निर्धारित घोषणा पत्र के द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित मानक/शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है, उन विद्यालयों का सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 माह के अन्दर स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

(ञ) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि के 60 दिन के भीतर जिन विद्यालयों द्वारा शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं, उनके संदर्भ में इस आशय का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जायेगा। विवादित मामलों में अपर निदेशक (बेसिक), इलाहाबाद से आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

(ट) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची भी तैयार की जायेगी, जो मान्यता की निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं। ऐसे विद्यालयों को कमियों के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा विद्यालयवार कमियों का विवरण वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जायेगा।

समस्या का निराकरण निर्धारित अवधि में. सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र के द्वारा आवश्यक रूप से कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी यदि विद्यालय निर्धारित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली लागू होने की तिथि से 03 वर्ष के उपरान्त इस प्रकार के विद्यालयों के संचालन पर रोक लगायी जा सकती है और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही भी की जायेगी।

(ग) अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) को मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें :-

1—आवेदन की अर्हता

शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा किसी विधि मान्य पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा स्तर के विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं।

निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित अशासकीय विद्यालयों को निम्न प्रकार की संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी :-

(1) नर्सरी विद्यालय—नर्सरी स्तर की दो कक्षायें तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षायें)।

(2) प्राइमरी विद्यालय—(प्राथमिक स्तर की 5 कक्षायें)।

(3) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक/बालिका) (जूनियर हाईस्कूल स्तर की 3 कक्षायें)।

प्राथमिक स्तर की 05 कक्षाओं के साथ नर्सरी स्तर की शिक्षा देने के लिये प्रतिदिन होने वाली माँग को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर की 05 कक्षाओं के साथ—साथ नर्सरी स्तर की कक्षाओं को मान्यता प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार के विद्यालय की मान्यता हेतु अन्य सामान्य शर्तों को पूरा करने के साथ—साथ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा :-

1. भवन :-विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने की स्थिति में किरायानामा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।

2. विद्यालय भवन :- मान्यता के लिये प्राथमिक के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा—कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक कक्षा—कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे बच्चें कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियाँ सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो। विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।

3. प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग—अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।

4. छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक–पृथक मूत्रालय एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

5. विद्यालय में पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

6. विद्यालय भवन का बाह्य रंग सफेद होना चाहिए

7. पुस्तकालय, साज–सज्जा एवं उपकरण :– **प्राथमिक विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा–5 के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त खेल–कूद का सामान, फर्नीचर, विभिन्न शैक्षिक चार्ट तथा नर्सरी कक्षाओं हेतु बच्चों के खिलौने आदि का होना आवश्यक है।**

8 क्रीडा स्थल:–

खेलकूद के लिये यथासम्भव विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप क्रीडा स्थल उपलब्ध होना चाहिए जहाँ कबड्डी, वालीवॉल, बैडमिन्टन, बास्केट बॉल, खो–खो आदि जैसे खेलों हेतु निर्धारित स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएँ कर सकते हों।

विशेष:–

बालिका विद्यालयों के लिए क्रीडा स्थल की छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार घनी आबादी वाले नगर क्षेत्र में बालकों के विद्यालयों में जहा स्थानाभाव हो, क्रीडा स्थल की छूट दी जा सकती है। क्रीडा स्थल के अभाव में किसी विद्यालय को भी मान्यता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

9. आवेदन शुल्क :– नर्सरी/प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क रू0 2000/– सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

10. विद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में रू0 5000 (रू0 पाच हजार मात्र) की एन0एस0सी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्लेजड होगी।

(4) नर्सरी विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान किये जाने की प्रक्रिया:–

विद्यालयो द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पारित नियमावली .2011 के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक–1) पर मान्यता का आवेदन सम्बन्धित संस्था द्वारा इस आदेश में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार करना होगा।

मान्यता समिति

प्राथमिक विद्यालय की मान्यता पर निम्नलिखित समिति द्वारा विचार किया जायगा :-

1– सम्बन्धित जिले का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2– सम्बन्धित जिले का वरिष्ठतम खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य / सचिव
3– सम्बन्धित जिले के प्राचार्य डायट द्वारा नामित प्रवक्ता	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता हेतु विद्यालय से प्राप्त सूचना एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित समस्त प्रपत्र मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति को प्रेषित की जायेगी तथा समिति के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–2) पर विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।

कर्मियों को देय वेतन

मान्यता प्राप्त नर्सरी एवं प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक एवं कर्मचारियों को वेतनमान, महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते का भुगतान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने स्रोत से किया जायेगा।

मान्यता प्राप्त विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों को उपयोग किया जायेगा।

शिक्षकों की अर्हता एवं नियुक्ति प्रक्रिया :–

शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन यथासंशोधित) में निहित है तथा भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली 1975 में प्राविधानित है।

(5) उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल स्तर) की मान्यता हेतु नियम / शर्तें :–

आवेदन करने की अर्हता

शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखने वाले व्यक्तियों / स्वैच्छिक संस्थाओं, ट्रस्टों द्वारा अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) संचालित किये जा सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की आवश्यकता पर विचार करते समय यह देखना आवश्यक होगा कि :–

(क) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए ऐसे विद्यालय को मान्यता दी गई हो उनके लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी;

(ग) मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र का यह भी दायित्व होगा कि वह समय--समय पर निर्गत शासनादेश तथा विभागीय आदेशों का पालन करेगा।

(घ) विद्यालय की प्रबन्ध समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा नवीनीकृत हो।

(ड.) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

(च) एक ही संस्था द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक और प्राथमिक / नर्सरी कक्षाओं हेतु अलग-अलग मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

शिक्षा का माध्यम

देवनागिरी लिपि होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी। विद्यालय में अमान्य पुस्तकों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।

वित्तीय शर्तें

मान्यता की उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त एक मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य होगा।

(क) विद्यालय का संदान रू0 20,000/- मूल्य की धनराशि का होगा। वह संदान सम्पत्ति अथवा नकद रूप में रखी जा सकती है यथा -

(1) नकद धनराशि।
(2) सरकारी जमानत।
(3) अचल सम्पत्ति।

टिप्पणी :-

यदि संदान नकद धनराशि अथवा सरकारी जमानत के रूप में हो तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत होना चाहिए। अचल सम्पत्ति के विषय में प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी को जिसे संस्था की ओर से सम्पत्ति के बेचने तथा तदर्थ विधि-पत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सक्षम अधिकारियों की लिखित आज्ञा के बिना स्थानान्तरित नहीं की

...जायगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में ... भी लिया जायगा। अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन और उससे होने वाली आय का प्रमाण–पत्र किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका के एक्जीक्यूटिव आफिसर अथवा उप नगर अधिकारी का प्रमाण–पत्र स्वीकार किया जायेगा।

संस्थान द्वारा रू0 5000/– की धनराशि का एक स्थाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत कर दिया जायेगा। राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी बोर्ड अथवा फौजी आर्डिनेन्स फैक्टरियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को संदान और स्थाई कोष की शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु ऐसी किसी संस्था को संचालित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आवर्तक और अनावर्तक व्यय के लिए आवश्यक प्राविधान होना चाहिए।

(6) <u>मान्यता हेतु आवेदन पत्र दिये जाने की प्रक्रिया</u> :–

(1)–निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ यथा निर्धारित शुल्क (बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम हो, जिसे सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के संगत लेखाशीर्षक में राजकोष में चालान द्वारा जमा किया जायेगा)।

निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमावली 2011 के संलग्नक के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क रू0 3000/– सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा संगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2)–आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी जांच/निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा इस विषय से संबंधित विद्यालयों को भी सूचित किया जायेगा। निरीक्षण हेतु जो अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने जायेगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य/प्रतिनिधि उपस्थित हों, जिससे स्थानीय जनता को जानकारी हो सके कि विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण वास्तव में किया गया है। निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों में जो कमियाँ पायी जायें, उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धतंत्र को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। विद्यालय को आपत्तियाँ सूचित करने के दिनांक के 02 माह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को स्वप्रमाणित आपत्ति निवारण आख्या (तीन प्रतियों में) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राप्त आख्या का परीक्षण कर अपनी आख्या/संस्तुति मान्यता समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(7) मान्यता समिति

उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नलिखित मान्यता समिति विचार करेगी :–

(1)	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)	अध्यक्ष
(2)	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य / सचिव
(3)	जनपद का वरिष्ठतम खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य

मान्यता समिति की बैठकें निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न होंगी। प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा उनके कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। कार्यवृत्त की प्रतियाँ सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर विद्यालयों की मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(8) मान्यता हेतु भवन की शर्तें :–

(1) विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये / लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने की स्थिति में किरायानामा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।

(2) मान्यता के लिये जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा–कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नही होना चाहिए अर्थात प्रत्येक कक्षा–कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे पंचम कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियाँ सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र / छात्राओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हों। विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।

(3) प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग–अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।

(4) छात्र / छात्राओं तथा अध्यापक / अध्यापिकाओं के पृथक–पृथक मूत्रालय एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) विद्यालय में पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(6) विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन मे रंग–रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

साज–सज्जा एवं उपकरण

विद्यालय में छात्र / छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार बैठने के लिए उपयुक्त फर्नीचर तथा अध्यापकों के लिए कुर्सी, मेज उपलब्ध होने चाहिए।

पुस्तकालय

जूनियर स्तर के विद्यालयों में कक्षा–8 तक के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न
विषय की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान,
शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा पत्र–पत्रिकाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

विज्ञान सामग्री

विद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी
चाहिए। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भौगोलिक नक्शों, ग्लोब,
विषय से सम्बन्धित चार्ट उपलब्ध होने चाहिए। दृश्य–श्रव्य कैसेट, टी0वी0
आदि की व्यवस्था विद्यालय अपने आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत कर सकते
हैं।

स्टाफ

विद्यालय में निम्न विवरण के अनुसार स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए :–
(1) प्रधानाध्यापक तथा प्रत्येक कक्षा कक्ष हेतु एक शिक्षक, जिसमें एक विज्ञान
एवं गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा से सम्बन्धित होगा।
(2) कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु
एक–एक शिक्षक।
(3) कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में शिक्षक / शिक्षणेत्तर
कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह बेसिक शिक्षा
परिषद / शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे पदों के लिए निर्दिष्ट शैक्षिक एवं प्रशिक्षण की
अर्हताएं न रखता हो।
(4) शिक्षकों / कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक
स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली
1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
(5) प्रत्येक 35 छात्र पर एक शिक्षक का अनुपात बनाये रखना अनिवार्य होगा।

शुल्क / फीस

मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क
मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापक / कर्मचारी
कल्याणकारी योजना अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हों। इसके अतिरिक्त
शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन
भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण
शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की
जायेगी, वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित
मदों में शुल्क लिया जा सकता है :–
1– शिक्षण शुल्क, 2– महंगाई शुल्क, 3– विकास शुल्क, 4– बिजली पानी
आदि, 5– पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6– विज्ञान शुल्क, 7– श्रव्य शुल्क,
8– क्रीड़ा शुल्क, 9– परीक्षा / मूल्यांकन, 10–विद्यालय समारोह / उत्सव, 11–
विशेष विषयों की शिक्षा– कम्प्यूटर / संगीत आदि।

<u>नोट</u> :– पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस
विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा
कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न
......

[illegible] किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी [illegible] को आगे विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

विद्यालय बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

(9) ***शैक्षिक सत्र 2013-14 की मान्यता प्रदान करने के संबंध में समय सारिणी :-***

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक / सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र जो सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों मे पूर्व से लम्बित हैं, उन आवेदन पत्रों पर समयबद्ध रूप से दिनांक 30 जून, 2013 तक नवीन मान्यता विषयक शर्तों के आलोक में मान्यता के संबंध मे मान्यता समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

नोट:- जिन आवेदित विद्यालयों द्वारा उक्त निर्धारित गाइड लाइन्स का पालन नही किया हो, उनके आवेदन पर आगामी शैक्षिक सत्रों की मान्यता हेतु कमियो को पूरा किये जाने के उपरान्त मान्यता समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(10) *शैक्षिक सत्र 2014-15 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों की मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में समय सारिणी:-*

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक / सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अवधि में प्राप्त कराया जायेगा तथा मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण समय-सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार किया जायेगा:-

1.	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना।	01 जुलाई से 31 अगस्त
2.	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के बारे सर्व साधारण को जानकारी दिया जाना।	सितम्बर के प्रथम सप्ताह
3.	आवेदन करने वाले विद्यालय का निरीक्षण	15 सितम्बर से 31 अक्टूबर
4.	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था को कमी / शर्तें पूरी करने हेतु सूचित किया जाना।	नवम्बर से दिसम्बर
5.	आवेदन कर्ताओं के प्रत्यावेदन स्वीकार करना।	जनवरी-फरवरी
6.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत शिक्षाधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त आवेदन पत्र की संस्तुति पर मान्यता समिति द्वारा निर्णय लेना।	मार्च
7.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आदेश जारी करना।	31 मई तक

नोट:- मान्यता समिति की बैठकें वर्ष में दो बार नवम्बर एवं मार्च में आहूत की जायेगी। निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को नवम्बर माह में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता समिति मान्यता आदेश दिसम्बर में निर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालगों को कमियों को पूरा कराकर मार्च में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर 31 मई तक मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(11) मान्यता हेतु आवेदन की प्रकिया :-

शैक्षिक सत्र 2014–15 से मान्यता हेतु आवेदन की प्रकिया आन लाईन होगी। जिसके सम्बन्ध में वेब साइट का पता तथा आवेदन प्रकिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

(12) विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण :-

जहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर अभिलिखित कारणों से संतुष्ट हैं कि मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई है तो उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

(क) विद्यालय की मान्यता की जिस शर्त का उल्लंघन किया गया है उसे स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए विद्यालय को एक माह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा।

(ख)- निर्धारित अवधि में यदि विद्यालय का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी 07 दिन की अवधि में एक त्रिस्तरीय समिति, जिसमे शासकीय प्रतिनिधियों के साथ एक शिक्षाविद भी सम्मिलित होगा, के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या निरीक्षण तिथि के एक (01) माह की अवधि में सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(ग)- समिति की आख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय को पत्र भेजकर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने हेतु 30 दिन का अवसर देगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध मे 45 दिन के अंदर मान्यता समिति का निर्णय प्राप्त कर लेंगे।

(घ)- मान्यता समिति के निर्णय प्राप्ति के सात दिन के अंदर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का मुखरित आदेश (speaking order) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। मान्यता रद्द होने का

[illegible]

आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पडोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(13) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लेखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया मान्यता के उक्त नियमों/शर्तों से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुए मान्यता प्रदान किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

8.5.13

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3-अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4-सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5-समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7-शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।